हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला–176215, 23 दिसम्बर, 2023

सं0 : वि0 स0–विधायन–प्रा0 / 1–1 / 2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

यशपाल शर्मा,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

————————

HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Dharamshala-176215, the 23rd December, 2023

No. V.S.-Legn.-Pri./1-1/2023.—The Himachal Pradesh, Legislative Assembly adjourned *sine-die w.e.f.* the close of its sitting held on the 23rd December, 2023.

YASH PAUL SHARMA,
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

————————

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1-61 / 2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।

2023 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2023 है।

2. धारा 2 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 2 में, खंड (ङङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

> "(ङङ) 'जीव अनाशित सामग्री' से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसका, सुक्ष्म जीवों, सूर्य के प्रकाश या अन्य प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटन और अवक्रमण नहीं किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पॉलिथीन, नाइलोन या अन्य प्लास्टिक–पदार्थ जैसे पॉली–विनायल–कार्बोहाइड्रेटस (पी0 वी0 सी0) पॉलीप्रोपाइलीन और पॉली–स्टाइरीन से बनाया गया या निर्मित माल और कोई सामग्री जो लगभग छह मास समयावधि में विघटन के लिए विवृत स्थितियों में 35 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेट के विशिष्ट तापमान स्तर पर खाद बनाने योग्य जीवनाशित होने के लिए विनिर्दिष्ट हैं या कोई अन्य सामग्री जो हिमाचल प्रदेश राज्य की प्राकृतिक जलवायु परिस्थितियों में दिन प्रतिदिन के आधार पर अनाशित हैं";।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 को सार्वजनिक नालियों, सड़कों और सहजदृश्य स्थानों पर जीव अनाशित कूड़ा–कचरा फैंकने या एकत्रित करने से निवारित करने और हिमाचल प्रदेश राज्य में जीव अनाशित सामग्री के उपयोग को विनियमित करने तथा तत्संबद्ध और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।

विधायी आशय के अनुरूप जीव अनाशित कूड़ा–कचरा के अनुचित निपटान को निवारित करने और राज्य में ऐसी सामग्रियों के उपयोग को विनियमित करने हेतु सार्वजनिक स्थानों में पर्यावरणीय विघटन को नियंत्रित करने के लिए 'जीव अनाशित सामग्री' की विद्यमान परिभाषा को अधिक प्रभावी बनाया जाना अपेक्षित

है। कुछ सामग्रियां पर्यावरण अनुकूल वर्णित की गई हैं, परंतु उनके नाशित होने के लिए कतिपय स्थितियां अपेक्षित हैं जैसे लगभग छह मास के लिए 35 से 40° सेंटीग्रेट तापमान का बने रहना। साधारणतया, हिमाचल प्रदेश की स्थितियां अधिक ठण्डी होती हैं, जिसके कारण पूर्ववर्णित सामग्रियों का सड़ना कठिन होता है। इसलिए, परिभाषा को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह इन नई सामग्रियों को समाविष्ट करती हैं और राज्य में व्यावहारिक चुनौतियों का ध्यान रखती हैं, ठीक करना अपेक्षित है।

प्रस्तावित संशोधन इस खाई को पाटने के लिए है, जिसका उद्देश्य अधिक व्यापक परिभाषा है, जो न केवल पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप हों, बल्कि राज्य के भीतर, अपशिष्ट प्रबंधन की व्यावहारिक चुनौतियों को भी समायोजित करे।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

धर्मशाला :

तारीख....., 2023

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 22 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (CONTROL) AMENDMENT BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.

BILL NO. 22 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (CONTROL) AMENDMENT BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 (Act No.15 of 1995).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy- fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Non- Biodegradable Garbage (Control) Amendment Act, 2023.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, for clause (ee), the following shall be substituted, namely:—

> " (ee) 'non-biodegradable material' means the material which cannot be decomposed or degraded by action of micro-organisms, sunlight or other natural actions and includes goods made or manufactured from Polythene, Nylon or other plastic substances such as Poly-Vinyl-Carbohydrates (P.V.C.), Poly- Propylene and Poly-styrene and any material which is specified to be compostable/biodegradable at a particular temperature level of 35 to 40°C in open conditions for degradation in approximately six months time or any other material which is not degradable on day to day basis in natural climatic conditions of State of Himachal Pradesh as specified in the Schedule approved to this Act;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 was enacted to prevent throwing or depositing non-biodegradable garbage in public drains, roads and places open to public view and to regulate the use of non-biodegradable material in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith and incident thereto.

In alignment with the legislative intent to prevent the improper disposal of non-biodegradable garbage and regulate the use of such materials within the State, the existing definition of 'non-biodegradable material' is required to be made more effective to curb environmental degradation. Some materials are described as environment friendly but they need certain conditions to break down like staying at a high temperature of 35 to 40ºC for around 6 months. Generally, the conditions in Himachal Pradesh are cooler thereby making it difficult to decompose the aforementioned materials. Therefore, the definition needs tweaking to make sure that it covers these new materials and considers the practical challenges in the State.

The proposed amendment seeks to bridge this gap, aiming for a more comprehensive definition which not only aligns with environmental objectives but also accommodates the practical challenges of waste management within the State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

DHARAMSHALA:

THE…..... ,2023